(भारत का राजपत्र, असाधारण के भाग–III, खंड–4 में **प्रकाशित**)

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

जी. संख्या 25 **नई दिल्ली,** 24 फरवरी, 2009

अधिसूचना

महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 48, 49 और 50 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण एतद्द्वारा संलग्न आदेशानुसार, चेन्नई पत्तन न्यास में मौजूदा दरमान की वैधता 31 दिसम्बर, 2008 के बाद से बढ़ाता है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष

महापत्तन प्रशुल्क प्राधिकरण

मामला सं. टीएएमपी/36/2005–सीएचपीटी

चेन्नई पत्तन न्यास ----- आवेदक

आदेश

(फरवरी, 2009 के 12वें दिन पारित)

इस प्राधिकरण ने चेन्नई पत्तन न्यास (सीएचपीटी) के दरमान की वैधता को 31 दिसम्बर, 2008 तक बढ़ाते हुए 30 सितम्बर, 2008 को एक आदेश पारित किया था।

2. सीएचपीटी ने अपने पत्रों दिनांक 16 दिसम्बर 2008, 2 जनवरी 2009 और 9 जनवरी 2009 द्वारा मौजूदा दरमान की वैधता को 31 दिसम्बर, 2008 से आगे के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है।

3. सीएचपीटी ने अपने पत्र दिनांक 18 सितम्बर 2008 और 9 जनवरी 2009 द्वारा अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए प्रस्ताव दाखिल किया है। इस प्रस्ताव पर प्रासंगिक उपयोक्ताओं/उपयोक्ता संगठनों के साथ विचार–विमर्श किया गया है। सामान्य परामर्शी प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए इस प्राधिकरण द्वारा मामले पर कार्यवाही करने और इस मामले पर इस प्राधिकरण द्वारा अंतिम विचार किए जाने में कुछ समय लगेगा। अतः सीएचपीटी में मौजूदा दरमान की वैधता को 31 दिसम्बर, 2008 से आगे के लिए बढ़ाना जरूरी है।

4. अतः इस प्राधिकरण ने सीएचपीटी में मौजूदा दरमान की वैधता को 30 जून 2009 तक अथवा अपने दरमान के सामान्य संशोधन के लिए सीएचपीटी के प्रस्ताव पर पारित किए जाने वाले आदेश के कार्यान्वयन की प्रभावी तारीख तक, जो भी पहले हो, बढ़ाने का निर्णय लिया है। तथापि, मौजूदा दरमान का वैधता विस्तार इस शर्त के अधीन है कि 1 अप्रैल, 2008 के बाद की अवधि के लिए स्वीकार्य लागत और सीएचपीटी को प्रोद्भूत होने वाले स्वीकार्य प्रतिलाभ से ऊपर का अधिशेष अगले चक्र के लिए निर्धारित किए जाने वाले प्रशुल्क में पूर्णतः समायोजित किया जाएगा, जैसाकि आदेशों दिनांक 14 जुलाई 2008 और 30 सितम्बर 2008 में पहले ही विनिर्दिष्ट किया गया है।

(ब्रह्म दत्त)
अध्यक्ष